न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	18/21	2021/35	13.10.2021	सरकार बनाम सुनील व अन्य	26.02.2026	1 लगायत6

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 18/2021 (2021/35)

उनवान

1. प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

– आवेदक

बनाम

1. सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री विशम्भर दयाल गुप्ता उम्र लगभग 39 वर्ष जाति महाजन (एबीओ व मालिक) फर्म श्री जी घेवर एण्ड मिष्ठान भण्डार, बालाजी चौक बाजार, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी दशहरा मैदान के पास, बजरंग कॉलोनी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।
2. किशन गहलोत पुत्र श्री हीरालाल गहलोत (डाईरेक्टर व नॉमिनी) निर्माता फर्म –**Heeralal Foods Pvt- Ltd,** करणी इन्डस्ट्रियल एरिये के पास, पुगल रोड, बीकानेर (राज10)–334001 निवासी जस्सूसर गेट के बाहर मालियों का मौहल्ला, बंगला नगर, बीकानेर (राज0)–334004
3. फर्म– **Heeralal Foods Pvt- Ltd** करणी इन्डस्ट्रियल एरिये के पास पुगल रोड बीकानेर–जरिये नोमिनी।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 **(ii)** एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.03.2021 को लगभग 03.10 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु फर्म श्री जी घेवर एण्ड मिष्ठान भण्डार, बालाजी चौक बाजार, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर पर दौराने गस्त निरीक्षण हेतु पहुंचें। वहीं पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री विशम्भर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

दयाल गुप्ता उम्र लगभग 39 वर्ष जाति महाजन बताया व स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। मैने सुनील कुमार गुप्ता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। सुनील कुमार गुप्ता अपनी दुकान पर घेवर भी. रसगुल्ले राजभोग व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक ने सुनील कुमार गुप्ता से दुकान का वर्ष 2021 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने फर्म का खाद्यपदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र मुझे दिखाया तथा उनकी एक–एक स्वप्रमाणित प्रति मुझे दी जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विकय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **Rasgulla (Heeralal Brand)** 1 किलोग्राम टीन पैक के एक ही बैच के 15 पैक एक रैक में रखे हुए थे। रैक में रखे हुए खाद्य पदार्थ **Rasgulla (Heeralal Brand)** 1 किलोग्राम टीन पैक का निरीक्षण करने पर उसमे मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विकेता व दुकान मालिक सुनील कुमार गुप्ता से उक्त खाद्य पदार्थ **Rasgulla (Heeralal Brand)** 1 किलोग्राम टीन पैक का शुद्धता व लेबल की जॉच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर मैने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान पर एक रैक में रखे हुए खाद्य पदार्थ **Rasgulla (Heeralal Brand)** 1 किलोग्राम टीन पैक के पैकिटों में से 4 पैकिट शुद्धता व लेबल की जॉच हेतु नमूना लेने बावत खरीदें जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 480/–रूपये अक्षरे चार सौ अस्सी रूपये नगद देकर खरीद का बिल प्राप्त कीया जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर मैंने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **Rasgulla (Heeralal Brand)** 1 किलोग्राम टीन पैक के चारों पैकिटों को चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेगलों की प्रत्येक पैकिट पर अलग–अलग अटैच कर, पैकिटों को अलग–अलग ब्राउन पेघर से लपेटकर, पेपर के सिरो को गोंद से चपकाकर पैकिटों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर एच –2023 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक पैकिट पर चिपकाकर, प्रत्येक पैकिट को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बाधकर चार–चार जगह चपड़ी से सील मोहर करके चारों पैकिटों पर यंथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द पैकिटों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मालिक सुनील कुमार गुप्ता से उक्त खाद्यवस्तु के आगामी माल खरीद बिल/वारन्टी के बारे में पूछा तो उसने फर्म– **Heeralal Foods Pvt- Ltd** करणी इन्डस्ट्रियल एरिये के पास, पुगल रोड, बीकानेर द्वारा जारी टैक्स इन्वॉइस संख्या 01195 दिनांक 05 02.2021 मुझे दिखाया एवं बताया कि मैने उक्त नमूने का माल इसी बिल के जरिये खरीदा है। खरीद बिल की एक स्वप्रमाणित प्रति मुझे दी जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियों तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों एक लिफाफे में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द पैकिट व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मौहम्मद अशलम, वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 26.03.2021 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर (राजस्थान) के यहाँ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के दो सील बन्द पैकिट (**ii** व **iii** पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द पैकिट (**iv** पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनाक 26.03.2021 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को स्वयं जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने रजिस्टर्ड पत्र कमांक/एफएसएसए/2021/767 दिनांक 12.04.2021 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विषलेशक जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/523/एक्ट/2021/47 दिनाक 01.04.2021 खाद्य कारोबारकर्ताओं को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुये एक प्रति मुझे दी जिसके अनुसार उक्त खाद्य वस्तु **Rasgulla (Heeralal Brand)** 1 किलोग्राम टीन पैक का नमूना मिथ्याछाप (**Misbranded Food U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006**) प्रकृति का पाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उक्त प्रकरण मे विक्रेता/खाद्य कारोबारकताओं ने मिथ्याछाप **Rasgulla (Heeralal Brand)** प्रकृति की खाद्य वस्तु **Rasgulla (Heeralal Brand)** 1 किलोग्राम टीन पैक का निर्माण व विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उलंघन किया है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त सं0 1 मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त सं0 2 व 3 बाबजूद तामिल उपस्थित नही होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गईं।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने मिथ्याछाप **Rasgulla (Heeralal Brand)** प्रकृति की खाद्य वस्तु **Rasgulla (Heeralal Brand)** 1 किलोग्राम टीन पैक का निर्माण व विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उलंघन किया है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अभियुक्त सं0 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य विषलेशक जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/523/एक्ट/2021/ 47 दिनाक 01.04.2021 निम्नानुसार है:–

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-B

Test Report of the Food Analyst

[Refer Regulation (2) of 2.3.1]

Report No. L.S. / 523 / Act / 2021 /47 Date: 01-04-2021

Certified that I Pankaj Kumar, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Prem Chand Jain, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Rasgulla (Heeralal Brand)" bearing Code number and Serial number H-2023 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai madhupur area on 26-03-2021 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:
The seals no 44 were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Rasgulla" falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 26-03-2021 to 01-04-2021 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : - Sample is in sealed and intact in Duplex box having Original Company Tin Pack of 1kg.

(2) Physical appearance ; - Creamish whiteish coloured soft material dipped in sugar syrup.

(3) Label:-

1. Brand name : -.HEERALAL'S Rasgulla
2. Batch No. : - A
3. Date of Mfg./ Pkg. :- 02/2021
4. Best before :- 07/ 2021
5. Symbol for veg. /non veg. :- Green symbol given.
6. Nutritional information. :- Given.
7. List of Ingredient. :- Milk Casein (Cottage Cheese,) Rose Water Sugar and Water. The Name of ingredients used in the product shall be listed in descending order of their composition by weight or volume, as the case may be, at the time of its manufacture. Contravention of Regulations 2.2.2 (2b) Rose water Flavour added but not declaraed on label as per act. Contravention Regulations 2.2.2(5)(II) fo the Food Safety and Standards (Packaging and labeling) regulation 2011.
8. Name & Address of Mfr. /Pkr.:- HEERALAL'S Foods(P. Ltd) . Near Karni . Industries Area. Pugal Road Bikaner (Raj.) India FSSAI License No. 12216017000012

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Test for added Starch.	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	Negative.	Negative.
2.	Test for added Sugar.	----do----	Positive.	Positive.
3.	Test for added Urea.	----do----	Negative.	Negative.
4.	Test for Neutralizer.	----do----	Negative.	Negative.
5.	Test for Saccharin.	----do----	Negative.	As per Regulation No.3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
6.	Added colouring matter.	----do----	Absent.	As per Regulation No: 3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.

Opinion- The sample of "Rasgulla (Heeralal Brand)" bearing Code No. and Sr. No. H-2023 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Misbranded food as Contravention of Regulations 2.2.2 (2b) and Regulations 2.2.2(5)(II) of the Food Safety and Standards (Packaging and labeling) regulation 2011 .The sample is misbranded food under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act, 2006

Signed this 01st day of April 2021

Food Analyst
(Authorized Signatory)
FOOD ANALYST
RAJASTHAN, JAIPUR

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Swai madhupur.

COMMISSIONER OF FOOD SAFETY...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Rasgulla (Heeralal Brand) Milk Casein (Cottage Cheese,) Rose Water Sugar and Water. The Name of ingredients used in the product shall be listed in descending order of their composition by weight or volume, as the case may be, at the time of its manufacture. Contravention of Regulations 2.2.2 (2b) Rose water Flavour added but not declaraed on label as per act. Contravention Regulations 2.2.2(5)(11) fo the Food Safety and Standards (Packaging and labeling) regulation 2011.** के अनुसार मिथ्याछाप प्रकृति का का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तग सं0 1 को खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **Rasgulla (Heeralal Brand)** मिथ्याछाप प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत जुर्माना राशि 10,000 रूपये (अक्षरे—दस हजार रूपये) तथा अभियुक्त सं0 2 व 3 को खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **Rasgulla (Heeralal Brand)** मिथ्याछाप प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत जुर्माना राशि 50,000 रूपये (अक्षरे— पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210—04—800—03—00—25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested